

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक :- 432

दिनांक :- 18/6/19

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- F-14 ()2018/FCA/PCCF/EDS-II dated 29.03.2019 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- Construction Of Approach road Jhalrapatan railway station

यूजर एजेन्सी का नाम :- Public Works Department, Jhalawar

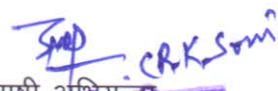
प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 0.90 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Jhalawar District and Jhalawar territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/38150/2019

1. बिन्दु संख्या C 1 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में कोई संरचनाएँ नहीं है जबकि प्रस्तावित एलायमेंट के शुरू में पक्का निर्माण गूगल पर दिखाई दे रहा है।	मौके पर एलायमेंट पर कोई पक्की संरचना मौजूद नहीं है।
2 बिन्दु संख्या D की पालना नहीं। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव की औचित्यता संलग्न नहीं किया गया हैं। एवं पुराने रास्तों के एलायमेंट पर विचार नहीं किया गया है।	यह नवनिर्मित झा.पाटन रेलवे स्टेशन के लिये एन.एच. 12 को जोड़ते हुये लिया गया है। अतः पुराना कोई रास्ता नजदीक में राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा नहीं है तथा पुराने रास्ते से अन्य विकल्प दर्शाते हुये नक्शा संलग्न कर दिया गया है।
3 बिन्दु संख्या Ad. Inf. -2 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है।	संलग्न कर दी गई है।
4 बिन्दु संख्या Ad. Inf. -4 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट में 84/151 में ही वन भूमि दर्शायी गई है। जबकि DGPS Map में 84/152 में भी वन भूमि है। अतः संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	खसरा नं. 84/151 राष्ट्रीय राजमार्ग का खसरा है जिसमें वन भूमि नहीं ली गई है।
5. बिन्दु संख्या Ad. Inf. - 5 की पालना के क्रम में यूजर एजेन्सी द्वारा खसरा मेप संलग्न किया गया है किन्तु संबंधित खसरे की जमाबंदी संलग्न नहीं की गई है।	संलग्न कर दी गई है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाये जाने हेतु यूजर एजेन्सी को निर्दिष्ट किया जाता है।


 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड, झालावाड़